

तारीख  
हुक्म

06<sup>07</sup>/<sub>23</sub> वकील शर्मा उपर, अश्लीलता के तहत  
दोषी ठहराया गया। आज ही अश्लीलता के तहत  
पेश करें पत्रावली वाली तारीख दिनांक 01/08/23  
को पेश करें।

01/08/23

पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/08/23 को पेश हो

08<sup>09</sup>/<sub>23</sub>

आज पत्रावली पेश करें, पत्रावली राष्ट्रीय  
लॉ अकादमी में दिनांक 09/09/23 को  
पेश करें।

09<sup>09</sup>/<sub>23</sub>

मोहम्मद  
६

पत्रावली आज पेश राष्ट्रीय लोक अदालत में  
पेश करें वकील शर्मा उपर, वकील शर्मा  
कोष में भेजा गया कि उक्त में पत्रावली  
को राजीनामा दे दिया है परन्तु शर्मा उपर  
नहीं। अतः शर्मा के अभियोग को इसी  
तरा पर नोटिस किया जावे।

वकील शर्मा के कोष में पत्रावली भेजा  
गया। शर्मा को आवाज दिवार कर पत्र  
शर्मा उपर नहीं। अतः शर्मा को अभियोग  
पर 212 R.O. के तहत नोटिस जारी किया जावे।  
पत्रावली के दिनांक 20.10.23  
को जारी R.O. relate की जाती है पत्रावली  
के तहत शर्मा, खैर तल्लुग मूल-बाद

सदस्य  
श्री क. दामोदर तालुका विधायक  
महा समिति नगर (भरतपुर)

श्री क. दामोदर तालुका विधायक  
महा समिति नगर (भरतपुर)